पत्र0 2231
21/02/2025

प्रेषक,

अर्थ एवं संख्याधिकारी,
पिथौरागढ़।

प्रेष्य,

1. सम्बन्धित जनपदस्तरीय अधिकारी ,पिथौरागढ़।
2. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपदपिथौरागढ़।
3. प्राचार्य, कैम्पस एल.एस.एम. स्नाकोत्तरमहाविद्यालय, पिथौरागढ़।
4. प्राचार्य, सीमान्त इंजीनियर संस्थानपिथौरागढ़।
5. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैकनीक, बांस (नोडल अधिकारी) जनपद पिथौरागढ़।

पत्रांक 733/ विविध/ मेरी योजना/ 2024–25 दिनांक 14फरवरी, 2025

विषय :– कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा तैयार की गयी "मेरी योजना" राज्य सरकार द्वितीय संस्करण पुस्तक को अपने विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों की वैबसाइट में अपलोड करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव उत्तराखण्ड शासन कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या /4744/xxvi-A-1दिनांक10.02.2025 जो समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सम्बोधित है। उक्तपत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में, गत वर्ष 2023 में "मेरी योजना" नामक पुस्तक के प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया था , जिसकी पीडी एफ प्रति आपके विभागों द्वारा पूर्व में अपनी–अपनी वेबसाइट में अपलोड की गई है। वर्तमान मे विभाग द्वारा उक्त पुस्तक के द्वितीय संस्करण को तैयार किया गया ,जिसका मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा 19.12.2024 को विमोचन किया गया है।संबंधित पुस्तक में, नवीन योजनाओं/सेवाओं का विवरण तथा पूर्व पुस्तक में जो सेवाएं/योजनाएं छूट गयी थी, का विवरण उल्लेखित किया गया है।उक्त पुस्तक राज्य के सभी विभागों तथा विभागों के अधीन समस्त कार्यालयों की वैबसाइट/पोर्टल के प्रथम पृष्ठ तथा ई–लाइबेरी पर अपलोड किये जाने के निर्देश मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये है ताकि राज्य का प्रत्येक नागरिक उक्त पुस्तक,किसी भी विभाग की वैबसाइट से डाउनलोड कर पढ़ सके।

2 "मेरी योजना" पुस्तक का मूल उददेश्य–योजनाओं का लाभ, लाभार्थी कैसे प्राप्त कर सकता है, की पूरी प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख सरल भाषा में किया गया है, संबंधित पुस्तक के प्रारूप को मुख्यतः 4 भागों में अंकित किया गया है–(योजना का नाम क्या हैं, योजना का लाभ क्या है, योजना का लाभ कौन व्यक्ति ले सकते हैं/योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु कौन व्यक्ति पात्र है एवं योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कहां, कैसे करना होगा, किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी एवं आवेदन करने के उपरान्त कैसे चयन किया जाता है तथा कैसे लाभ, लाभार्थी को मिलता है) ताकि राज्य के वंचित पात्र लाभार्थियों को समस्त योजनाओं का संकलन एक ही पुस्तक से प्राप्त हो सके एवं पुस्तक पढ़कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को जानकर, पात्र लाभार्थी, लाभ प्राप्त कर सकें।

अतः उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया "मेरी योजना" राज्य सरकार द्वितीय संस्करण पुस्तक के पीडीएफ फार्मेट को, जिसको वैबसाइट www.uk.gov.in के लिंक (http/uk-in/department92library..file/30-01-2025-04-25-16.pdf) से डाउनलोड कर सकते हैं, को विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान/केन्द्र/आयोग/परिषद आदि की वैबसाइट/पोर्टल तथा विश्वविद्यालयों की ई–लाइब्रेरी में "मेरी योजना"–राज्य सरकार द्वितीय संस्करण पुस्तक" लिखकर, अपलोड करने के साथ ही वैबसाइट/पोर्टल पर RGB colour में उक्त लाइन का marquee>Tag भी बनाते हुए सूचना ईमेल sopi-1@uk.gov.in पर अवगत कराने का कष्ट करें।

अतः उक्त पत्र में दिये गये निर्देश के सम्बन्ध में आप अपने अधीनस्थ समस्त खण्डों/संस्थानों को भी अपने स्तर से सूचना प्रेषित कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

अर्थ एवं संख्याधिकारी,
पिथौरागढ़।

पत्रांक / विविध / मेरी योजना / 2024–25 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– 1.सचिव, उत्तराखण्ड शासन,कार्यक्रम क्रियान्वयन अनुभाग देहरादून को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2.जिलाधिकारी महोदय, पिथौरागढ़ को अवलोकनार्थ प्रेषित।

O.S.E. website
upload on website
Ajit Sm 21/4/2025

अर्थ एवं संख्याधिकारी,
पिथौरागढ़।